समाहरणालय, जमुई
(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री सात निश्चय कार्यक्रम के तहत ''आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के संचालनार्थ कार्यरत धधौर में अवस्थित जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र के रख–रखाव, साफ–सफाई के लिये इच्छुक व्यक्तियों/स्वयं सेवी संस्थानों/प्रतिष्ठित फर्मों से दिनांक 19/11/18 अपराह्न 12 बजे तक सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। सीलबंद निविदा तकनीकी बीड एवं वितीय बीड में अलग–अलग होना चाहिए दोनो बीड एक ही लिफाफे में होने पर उस निविदादाता का लिफाफा नहीं खोला जायेगा। सीलबंद निविदा दिनांक 19/11/18 को अपराह्न 3:00 बजे जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र का अनुश्रवण समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खुलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।

कार्य की विवरणी

1. जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र के सभी कमरों में झाडू–पोछा (फिनाईल युक्त) कार्य प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से पहले तक करना है।
2. जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र परिसर के शौचालय/मूत्राशय की साफ–सफाई दिन में दो बार फिनाईल के साथ करना है। साथ ही सफाई कर्मियों को कार्यालय अवधि में समय–समय पर गंदगी दिखते ही नियम्ति रूप से वाइपर/स्वाब से सफाई करना है।
3. जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र भंवन एवं परिसर के मुख्य सड़क पर झाडू लगाना एवं कूड़ा हटाते रहना है। साथ ही झाड़–फूस, घास–पात इत्यादि नियमित रूप से सफाई करना है।
4. जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र भवन एवं परिसर के मुख्य नाला की सफाई प्रत्येक दिन करना है।
5. सभी बास बेसिन तथा मूत्र बेसिन में नेपथालिन की बड़ी गोली लगातार रखा जाना है। शौचालय में मग, हैंडबास, तौलिया एवं साबुन रखना है। स्नानघर में मग एवं बाल्टी भी रखना है। साफ–सफाई से संबंधित सभी प्रकार के उपकरण तथा सामग्रियाँ रखना है।
6. जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र भवन परिसर को संक्रमण मुक्त रखना है।
7. पर्यवेक्षक के साथ कम से कम 8 मजदूर दैनिक सफाई कर्मी रहेंगे। सफाई कर्मी को यूनिफार्म में रहना है। एक मजदूर बागवानी कार्य करेगा।
8. प्रत्येक सप्ताह जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र में प्रयुक्त कपड़ों का लाण्ड्री से धुलाई कराना है।

निविदा की शर्ते

1. निविदादाता को निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न तथा सभी अनुमान्यों करो का स्वच्छता प्रमाण –पत्र (Clearence Certificate) संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को काली सूची में नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र जमा करना होगा।
3. निविदादाता को पूर्व में सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में साफ–सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र जमा करना होगा।

4. निविदादाता को अग्रधन के रूप में जिला पदाधिकारी, जमुई के पदनाम से 10000.00 (दस हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
5. निविदादाता को निर्धारित कार्यो के लिये साफ–सफाई में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों एवं मजदुरी के पूर्ण विवरण के साथ समस्त कार्यो का दर अंकित करना होगा।
6. साफ–सफाई कर्मी निर्धारित संख्या में उपस्थित नहीं पाये जाने तथा युनिफार्म में नहीं पाये जाने पर मासिक भुगतान की राशि में से 10 प्रतिशत दण्डस्वरूप राशि की कटौती की जायेगी।
7. सफाई कार्य में लापरवाही/कोताही बरतने पर विपत्र की राशि से कटौती कर ली जायेगी।
8. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
9. सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस आशय का एकरारनामा दाखिल करना होगा। किसी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में मासिक विपत्र से अनुपातिक राशि की कटौती कर ली जायेगी तथा बार–बार एकरारनामा के शर्तो का उल्लंघन करने पर एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा।
10. किसी भी प्रकार का वाद का निपटारा सिविल कोर्ट जमुई के क्षेत्रान्तर्गत होगा।

विशेष जानकारी के लिए http://jamui.nic.in पर देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में जिला योजना पदाधिकारी, जमुई से सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी
जमुई